

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – सरोज ढाका, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 137 / 15

कालू पुत्र श्री भेरू, जाति गुर्जर, निवासी बन्दा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा –(वादी)

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा –(प्रतिवादी)


वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,92 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 13.08 .2019

उपस्थिति : श्री तेजसिंह धाबाई, वादी वकील

निर्णय

1. वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि –
 - वादी की कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम बन्दा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 93 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 526 / 75 रकबा 0.54 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 527 / 220 रकबा हैक्टर है जो कि वर्तमान में वादी की गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिस पर वादी काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है।
 - उक्त कृषि आराजीयात का आवंटन वादी को किया गया था तथा आवंटन दिनांक से वादी उक्त आराजी पर काश्त करता आ रहा है। तत्पश्चात खसरा नम्बर 213 रकबा 2.00 हैक्टर का नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांक 30.07.2002 जिसका वर्तमान खसरा नम्बर व 93 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 526 / 75 रकबा 0.54 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 527 / 220 रकबा हैक्टर है, को वादी की गैरखातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तभी से वादी उक्त आराजी को काश्त करता आ रहा है।
 - वर्तमान में उक्त कृषि आराजीयात राजस्व रिकार्ड में वादी की गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है और जिसे वादी खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है क्योंकि आवंटन के पश्चात वादी के लगातार काश्त किये जाने के आधार पर गैरखातेदारी दर्ज की गई थी।
 - वादी काश्तकारी के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करता है तथा काश्तकारी पर ही वादी का जीवन निर्भर है। इसी से ही वादी अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वादी द्वारा आवंटन नियमों की पूर्ण पालना करने पर ही वादी को गैरखातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई थी।




- वादी ने उक्त आराजीयात को लगातार काश्त किया है और बंजड जमीन को उपजाऊ बनाया है। आवंटन नियमों की पूर्ण पालना की है। वादी गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज किये जाने का पूर्ण राजस्व खर्चा भी जमा कराने को तैयार है। इस आधार पर उक्त आराजी पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना आवश्यक है।
 - उक्त कृषि आराजीयात को वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये तो वादी को कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा जिससे वादी उन्नत व आधुनिक खेती कर सकेगा।
 - वादी द्वारा प्रतिवादी के समक्ष भी प्रार्थना पत्र पेश कर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई थी जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस कारण वादी द्वारा वादपत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
 - उक्त कृषि आराजीयात को वादी द्वारा लगातार काश्त किया गया है व आवंटन नियमों की भी पूर्ण पालना की गई है। इस कारण उक्त आराजी को वादी की खातेदारी में दर्ज किया जाना आवश्यक है।
 - वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद के श्रवणाधिकार का क्षेत्राधिकार भी माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
 - अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि ग्राम बन्दा की वर्तमान खसरा नम्बर व 93 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 526/75 रकबा 0.54 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 527/220 रकबा हैक्टर की कृषि आराजीयात को वादी की गैरखातेदारी से खातेदार काश्तकार के अधिकार प्रदान कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।
2. वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांक 30.07.2002 से गैरखातेदारी दर्ज करने के आदेश की नामान्तरकरण पंजिका तथा विवादित आराजी की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 की नकल पेश की गई है।
 3. दौराने वाद प्रतिवादी सरकार जयें तहसीलदार की ओर से तलवी उपरान्त भी जवाब दावा आदि पेश नहीं होने पर न्यायालय पत्रांक रीडर/एसीएम/2017/798 दिनांक 06.04.2017 से जवाब दावा, साक्ष्य, मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया जिसके बावजूद भी प्रतिवादी सरकार जयें तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की ओर से न तो कोई जवाब दावा अथवा साक्ष्य पेश किया गया और ना ही कोई उपस्थित हुआ। फलस्वरूप बावजूद सूचना, प्रतिवादी की ओर से किसी के भी उपस्थित नहीं होने के कारण आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6¹(क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
 4. प्रकरण के बहस में आने पर वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये ग्राम बन्दा, तहसील



लाडपुरा, जिला कोटा की वादी की गैरखातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 608/213 रकबा 2 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

5. हमने वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विवादित आराजी ग्राम बन्दा, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है। इस बाबत वादी द्वारा ग्राम बन्दा धर्मपुरा की विवादित आराजी की नामान्तरकरण पंजिका एवं जमाबन्दी की नकल पेश की गई है। इसके अतिरिक्त कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।
6. राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1950 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35, सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित धारा 2 की उपधारा (1) के बिन्दु संख्या (10) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक : प.10(3)नवि/80पार्ट-1 दिनांक 04.09.2013 के क्रम संख्या 58 पर अंकित राजस्व ग्राम बन्दा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। साथ ही संयुक्त सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर अधिसूचना क्रमांक एफ.9(15)रेवेन्यू-6/2005पार्ट/13 दिनांक 13.05.2015 द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन के नियम 18(4) में संशोधन कर नगरीय क्षेत्र की भूमि पर नियमानुसार राजकोष में राशि जमा कराने पर खातेदारी प्रदान किये जाने के लिये सम्बन्धित जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है।
7. प्रकरण की विवादित आराजी खसरा नम्बर व93 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 526/75 रकबा 0.54 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 527/220 रकबा हैक्टर से सम्बन्धित ग्राम बन्दा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा वर्तमान में जिले के नगरीय क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण यह न्यायालय प्रकरण की गैरखातेदारी की विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु अधिकृत नहीं है। अतः न्यायालय की अधिकारिता के अभाव में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18(4) के प्रोविजो के तहत आदेश 07 नियम 10 व 10(क) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी न्यायालय में प्रस्तुतिकरण हेतु, वादी को वादपत्र लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। वादपत्र एवं उसके साथ पेश किये गये दस्तावेजात की फोटोप्रति प्रकरण की पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे।
8. आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13 अगस्त, 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


 (सरोज ढाका) R.A.S.
 सहायक कलक्टर (मुख्यालय),
 कोटा